

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/60

प्रकरण संख्या 30/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री वेणीराम जाट

बनाम

किशनलाल जाट

निर्णय

दिनांक :06.07.2022

1. प्रार्थी श्री वेणीराम पिता भगवान जाति जाट निवासी चारगदिया तहसील भीण्डर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 ने निवेदन किया कि मौजा ग्राम चारगदिया, पटवार मण्डल चारगदिया की जमाबन्दी सवत् 2078-81 के खाता संख्या 104 के आराजी संख्या 555 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 566 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 711 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 73 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि किशनलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, गोटुलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, छगनलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, देवीराम पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट के नाम दर्ज रेकॉर्ड है।
2. उपरोक्त भूमि भू-प्रबन्धन विभाग की कार्यवाही से पूर्व रिकार्ड की स्थिति जमाबन्दी सवत् 2036-39 के खाता संख्या 66 की आराजी संख्या 58 रकबा 1-00 बीघा, आराजी संख्या 456 रकबा 0-12 बीघा, आराजी संख्या 519, रकबा 1-01 बीघा आराजी संख्या 708 रकबा 1-05 बीघा, कुल किता 4 कुल रकबा 3-10 बीघा भूमि के किशनलाल, गोटुलाल, छगनलाल, वेणीराम जाट नाम दर्ज रेकॉर्ड है।
3. उपरोक्त भूमि नवीन भू-प्रबन्धन के बाद जमाबन्दी सवत् 2078-81 के खाता संख्या 104 के आराजी संख्या 555 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 566 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 711 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 73 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि किशनलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, गोटुलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, छगनलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, देवीराम पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट के नाम दर्ज रेकॉर्ड है, जिसमें जमाबन्दी सम्वत् 2036-39 में दर्ज वेनीराम पिता भगवान जाट का नाम बाद के रोटेशन 2040-43, 2044-48, एवं 2049-53 एवं सेटलमेंट के द्वारा भी वेनीराम पिता भगवान जाट दर्ज न करके देवीराम पिता भगवान जाट दर्ज हो गया है जो गलत है। अतः वर्तमान प्रविष्टि देवीराम पिता भगवान जाट विलोपित कर इसके बजाय वेनीराम पिता भगवान जाट किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

4. अतः तहसीलदार भीण्डर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि मौजा ग्राम चारगदिया, पटवार मण्डल चारगदिया की जमाबन्दी सवत् 2078-81 के खाता संख्या 104 के आराजी संख्या 555 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 566 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 711 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 73 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि किशनलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, गोटुलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, छगनलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, देवीराम पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट दरोगा के नाम दर्ज रेकॉर्ड है, चूंकि मिलान क्षेत्रफल अनुसार जमाबंदी सम्वत् 2036-39 में दर्ज वेनीराम पिता भगवान जाट का नाम बाद के रोटेशन 2040-43, 2044-48, एवं 2049-53 एवं सेटलमेंट के द्वारा भी वेनीराम पिता भगवान जाट दर्ज न करके देवीराम पिता भगवान जाट दर्ज हो गया है जो गलत है। अतः वर्तमान प्रविष्टि देवीराम पिता भगवान जाट विलोपित कर इसके बजाय वेनीराम पिता भगवान जाट किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

5. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जिससे मौजा ग्राम चारगदिया, पटवार मण्डल चारगदिया की जमाबन्दी सवत् 2078-81 के खाता संख्या 104 के आराजी संख्या 555 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 566 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 711 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 73 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि किशनलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, गोटुलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, छगनलाल पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट, देवीराम पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट दरोगा के नाम दर्ज रेकॉर्ड है जबकि भू-प्रबन्धन से पूर्व की जमाबंदी सम्वत् 2036-39 में प्रार्थी का नाम वेनीराम पिता भगवान जाट दर्ज रेकॉर्ड है।

6. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम चारगदिया, पटवार मण्डल चारगदिया की जमाबन्दी सवत् 2078-81 के खाता संख्या 104 के आराजी संख्या 555 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 566 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 711 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, आराजी संख्या 73 रकबा 0.2200 हैक्टेयर, कुल किता 4 कुल रकबा 0.8500 हैक्टेयर भूमि में दर्ज देवीराम पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट के स्थान पर वेणीराम पुत्र भगवान हिस्सा 1/4 जाति जाट किया जाता है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।

7. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



1/2/22